न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 25/2021 प्रार्थना पत्र धारा 457 सीआरपीसी

सोनू जागेटिया पिता कैलाशचन्द्र जागेटिया पार्टनर जागेटिया रोड लाईन्स, ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाडा –प्रार्थी	बनाम	सरकार जरिये थानाधिकारी थाना गंगापुर –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. बाबत् वाहन सुपुर्दगी

उपस्थित –

1. संतोष कुमार पारीक अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि थाना गंगापुर द्वारा दिनांक 08.10.2021 को लाखोला चौराहा, गंगापुर के पास चमन होटल पर कुछ लोगों द्वारा पिकअप गाडी से बायोडीजल का बेचान किये जाने की सूचना पर थाना गंगापुर जाब्ता द्वारा तफ्तीश की गयी। उक्त तफ्तीश के दौरान प्रार्थी वाहन स्वामी के वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 को थाना गंगापुर द्वारा संदेह के आधार पर जब्त किया गया। उक्त वाहन में बायोडीजल का उपयोग नही किया जाता हैं। उक्त वाहन के चालक होटल पर वाहन खडा करके खाना खाने के लिये रूके थे, परन्तु पुलिस वालों ने मौके पर अन्य ट्रेलर को जब्त करने के दौरान प्रार्थी के वाहन को भी जब्त कर लिया। उक्त वाहन ट्रेलर प्रार्थी के रोजाना कार्य में आता हैं, जिसमें उक्त वाहन के पुलिस की तहविल में पडे रहने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हो रहा हैं। प्रार्थी के उक्त वाहन का मैकेनिकल मुआयना हो चुका हैं और उक्त वाहन की अब पुलिस थाना गंगापुर को भी आवश्यकता नही हैं। ताफैसला प्रार्थी वाहन स्वामी उक्त वाहन की शक्ल, सुरत तब्दील नही करेगा तथा ना ही किसी को हस्तान्तरित करेगा तथा न्यायालय हाजा द्वारा उक्त वाहन की जब कभी न्यायालय हाजा द्वारा तलबी की जायेगी तो प्रार्थी स्वयं के खर्चे पर समय समय पर हाजिर होगा। इस हेतु प्रार्थी मौतबीर जमानत पेश करने को तैयार हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी वाहन स्वामी के उक्त जब्तशुदा वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी थानाधिकारी थाना गंगापुर से पत्रावली तलब की गयी। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा से भी रिपोर्ट तलब किये जाने का पत्र जारी किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त मामलें मे जब्तशुदा वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पुलिस थाना गंगापुर से प्राप्त पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया कि थाना गंगापुर द्वारा दिनांक 08.10.2021 को लाखोला चौराहा, गंगापुर के पास चमन होटल पर कुछ लोगों द्वारा पिकअप गाडी से बायोडीजल का बेचान किये जाने की सूचना पर थाना गंगापुर जाब्ता द्वारा तफ्तीश की गयी। उक्त तफ्तीश के दौरान प्रार्थी वाहन स्वामी के वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 को थाना गंगापुर द्वारा संदेह के आधार पर जब्त किया गया। प्राप्त पत्रावली में संलग्न एफ.आई.आर. अनुसार उक्त वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 में बायोडीजल भरे जाने का कोई अंकन नही किया गया हैं। केवल संदेह के आधार पर जब्त किया गया हैं। इस न्यायालय के पत्रांक/न्यायालय/प्रा. पत्र/25/2021 दिनांक 18.10.2021 जिससे थानाधिकारी थाना गंगापुर से पत्रावली तलब की गयी, उसी पत्र पर पुलिस थाना गंगापुर के रीडर द्वारा अंकन किया गया कि "प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहनों की अनुसंधान में आवश्यकता नही हैं।" इसी प्रकार कार्यालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के पत्रांक/रसद/अभियोजन/2021/1115 दिनांक 20.10.2021 अनुसार जिला रसद अधिकारी भीलवाडा ने अंकन किया कि "उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नही गयी।"

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. बाबत् वाहन रिलीज स्वीकार किया जाता हैं। जब्तशुदा वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 को सुपुर्दगी में लिये जाने बाबत् प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में कमशः 30,00,000/–रूपये एवं 30,00,000/–रूपये कुल 60,00,000/–रूपये के जमानती मुचलके एवं सुपुर्दगीनामा निम्न शर्तों के साथ पेश करें –

1. जब्तशुदा वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 को किसी अन्य को रहन, बय, किसी प्रकार से अन्तरित तथा खुर्द नही करेगा।
2. वाहन टैंकर के रंग रूप तथा आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करेगा।
3. न्यायालय द्वारा जब्तशुदा वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 को तलब करने पर सुपुर्दगीदार स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा।
4. वाहन ट्रेलर नंबर आर.जे. 06 जीसी 5858 एवं आर.जे. 06 जीबी 7457 की आगे पीछे की रंगीन दो फोटो पेश करेगा।
5. सुपुर्दगी हेतु स्वयं मालिक एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित होने पर सुपुर्दगी प्रदान की जावेगी।

अतः उपरोक्तानुसार पत्रावली वास्ते शपथ पत्र, सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने हेतु दिनांक 21.10.2021 को पेश हो।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा